कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल – 462004

....

भोपाल दिनांक 5.10.2018

कमाक 2189/472/आउशि/संबद्धता/2018

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड,
भोपाल, मध्यप्रदेश ।

विषयः– सत्र 2019–20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एंव पूर्व संचालित पाठ्यकमों की निरंतरता हेतु ऑनलाइन प्रकिया अपनाने बाबत ।

सन्दर्भः– एसोसिएट कंसलटेंट, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड भोपाल का पत्र कमांक MPO/BD/2018/9512 दिनांक 4.10.2018

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019–20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यकमों की निरन्तरता संबंधी समस्त कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शिका जारी की जा रही है जिसे विभागीय वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है।

2. मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने एवं शुल्क जमा करने तथा अन्य समस्त कार्यवाही ऑनलाइन करने हेतु "**एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड**" को अधिकृत किया जाता है।

3. सत्र 2019–20 के लिए ऑनलाइन प्रकिया अपनाने के लिए एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से नवीन महाविद्यालय, नवीन संकाय/नवीन विषय तथा निरन्तरता हेतु कमशः राशि रूपये 1000/–, रूपये 800/–एवं रूपये 500/– (जी.एस.टी.सहित) शुल्क निर्धारित किया जाता है।

4. अतः मार्गदर्शिका के साथ पारम्परिक पाठ्यकमों तथा विधि (लॉ) पाठ्यकमों के लिए पृथक–पृथक विस्तृत समय–सारणी जारी की गई है जिसमें अंकित निर्देशों/दिनांकों के अनुरूप विभागीय पोर्टल http://hed.mponline.gov.in पर समस्त कार्यवाही ऑनलाइन करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।

(अजीत कुमार)
आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 5.10.2018

पृ0कमाक 2190/472/आउशि/संबद्धता/2018

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
4. अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

— की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

5/10/18

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश